



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुकवार, 04 मार्च, 2011

फाल्गुन 13, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 310/79-वि-1-11-1(क)-8-2011

लखनऊ, 04 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

19-4-11 "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 03 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 2011 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 2011)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाराठव वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
29 सन् 1974 द्वारा  
यथा संशोधित एवं  
पुनः अधिनियमित  
राष्ट्रपति अधिनियम  
संख्या 10 सन्  
1973 की धारा 4  
का संशोधन  
धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ड) में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "मान्यवर श्री काशीराम जी" रख दिये जायेंगे।

धारा 7-ख का  
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (7) में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "मान्यवर श्री काशीराम जी" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का  
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 7-ख में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "मान्यवर श्री काशीराम जी" रख दिये जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ-2 में, क्रम संख्या 11 में अंकित प्रविष्टि में शब्द "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "मान्यवर श्री काशीराम जी" रख दिये जायेंगे।

### उद्देश्य और कारण

देश और समाज के उत्थापन के लिये मान्यवर श्री काशीराम जी द्वारा किये गये योगदान को दृष्टि में रखते हुये यह विनिश्चय किया गया है कि मान्यवर श्री काशीराम जी की स्मृति को बनाये रखने के लिये उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ का मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के रूप में पुनर्नाम दिया जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
क०क० शर्मा,  
प्रमुख सचिव।

No. 310(2)/LXXIX-V-1-11-1 (ka) 8/2011

Dated Lucknow, March 04, 2011

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sansodhan) Adhinyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 6 of 2011) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 03, 2011 :-

### THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2011

[U.P. Act No. 6 of 2011]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities Short title (Amendment) Act, 2011.

Amendment of section 4 of the Presidents's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by the U P. Act no. 29 of 1974

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 herein referred to as the principal Act, in sub section (1-A), in clause (e) for the words "Uttar Pradesh" the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" shall be *substituted*.

Amendment of the section-5

3. In section-5 of the principal Act, in sub-section (7) for the words "Uttar Pradesh" the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" shall be *substituted*.

Amendment of the section-7-B

4. In section 7-B of the principal Act for the words "Uttar Pradesh" the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" shall be *substituted*.

Amendment of the schedule

5. In the schedule to the principal Act, in the entry appearing at serial no-11, in column-2 for the words "Uttar Pradesh" the words "Manyavar Shri Kanshi Ram Ji" shall be *substituted*.

-----  
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to contributions made by Manayavar Shri Kanshi Ram Ji for the upliftment of the country and the society, it has been decided to rename the Uttar Pradesh Urdu Arabi Pharsi University, Lucknow as the Manayavar Shri Kanshi Ram Ji Urdu Arabi Pharsi University, Lucknow to commemorate Manayavar Shri Kanshi Ram Ji.

The Uttar Pradesh State University (Amendment) Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,  
K.K. SHARMA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1234 राजपत्र-(हिन्दी)-2011-(2520)-597+2 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 190 सा० विधायी-2011-(2521)-850 प्रतियाँ-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।